रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2014/आषाढ़ 27, 1936
No. 368] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2014/ASHADHA 27, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 506(अ).—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (प्रकीर्ण) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रकीर्ण) संशोधन नियम, 2014 है।

(ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रकीर्ण) नियम, 2014 में नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"11. केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक निदेशक अथवा कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित आवेदन अथवा प्ररूप- इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व केन्द्रीय सरकार अथवा प्रादेशिक निदेशक अथवा कंपनी रजिस्ट्रार (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकारी' कहा गया है) के पास फाइल किया गया कोई आवेदन अथवा प्ररूप, जिसका ऐसे प्राधिकारी द्वारा किसी सूचना अथवा दस्तावेज के अभाव में निपटान नहीं किया गया है, उसके प्रस्तुत किए जाने पर, प्राधिकारी की संतुष्टि होने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निपटान किया जाएगा।"

[फा.सं. 1/25/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 253(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2014

G.S.R. 506(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Miscellaneous) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Miscellaneous) Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Miscellaneous) Rules, 2014 after rule 10, the following rule shall be inserted, namely:—

"11. Applications or forms pending before Central Government, Regional Director or Registrar of Companies.- Any application or form filed with the Central Government or Regional Director or Registrar (hereinafter referred to as 'the authority') prior to the commencement of these rules but not disposed of by such authority for want of any information or document shall, on its submission, to the satisfaction of the authority, be disposed of in accordance with the rules made under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)."

[F. No. 1/25/2013-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R 253 (E), dated the 31st March, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.